

कार्यालय- संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्योपुर, (म0प्र0)

क्रमांक-447/सी0जे0एम0/2025

श्योपुर, दिनांक 11.09.2025

:: संशोधित कार्य विभाजन आदेश ::

कार्यालयीन पृष्ठांकन क्रमांक 2224/एक-6-3/05 (सां0अनु0) श्योपुर दिनांक 10.09.2025 के साथ संलग्न माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के पत्र क्रमांक/सी/5900/तीन-6-6/90 जबलपुर, दिनांक 03.09.2025 के निर्देशानुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली को जारी पर्यावरण प्रदूषण और मानवाधिकार के ह्यास प्रभाव को रोकने, न्यूनतम करने और कम करने हेतु परामर्श विषयांतर्गत, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से संबंधित विचारणीय मामलों के निपटान हेतु जिले के वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं जिले के बाहर वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को नामित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिसके पालन में मैं संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्योपुर, जिला-श्योपुर, म.प्र. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत पूर्व में जारी विविध आदेश (कार्य विभाजन पत्रक) क्रमांक-क्यू0/सी0जे0एम0/2025 श्योपुर, दिनांक 02.04.2025 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती हूँ, जो कि माननीय प्रिंसिपल जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, श्योपुर के अनुमोदन उपरान्त तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा:-

क	मजिस्ट्रेट	अधिकार क्षेत्र	आपराधिक कार्य वितरण
1	2	3	4
01	(संध्या मरावी) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला-श्योपुर	संपूर्ण राजस्व जिला श्योपुर	12. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1974, से संबंधित विचारणीय मामले। 13. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981, से संबंधित विचारणीय मामले। 14. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, से संबंधित विचारणीय मामले। 15. भारतीय वन अधिनियम, से संबंधित विचारणीय मामले। 16. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से संबंधित विचारणीय मामले।
07	(विनय जैन) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्योपुर	संपूर्ण राजस्व तहसील विजयपुर	15. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1974, से संबंधित विचारणीय मामले। 16. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981, से संबंधित विचारणीय मामले। 17. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, से संबंधित विचारणीय मामले। 18. भारतीय वन अधिनियम, से संबंधित विचारणीय मामले। 19. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से संबंधित विचारणीय मामले।

उपरोक्त आंशिक संशोधन आदेश के सिवाय शेष कार्य विभाजन संबंधी आदेश/चार्ज प्रभार/निर्देश यथावत रहेंगे।

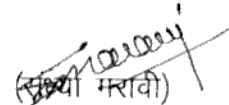
अनुमोदित

प्रिंसिपल जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
श्योपुर (म0प्र0)

(संध्या मरावी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
श्योपुर (म0प्र0)

प्रतलललतलतल :-

1. डलननीत रऑलसुतुलर ऑनरल डुदुत, डलननीत उऑऑ नुतलतलत, डधुतुरदेश, ऑडलतलतुर की ओर सुऑनलरुत सलदर तुरेशलत है।
2. डलननीत तुरलसलतलल रऑलसुतुलर डुदुत, ड.तुर. उऑऑ नुतलतलत, ऑडऑतुत गवललतुर की ओर सुऑनलरुत सलदर तुरेशलत।
3. डलननीत ऑलल नुतलतलतलश (नलरलकुषण) डुदुत, गवललतुर की ओर सुऑनलरुत सलदर तुरेशलत है।
4. डलननीत तुरधलन ऑलल ऑवं सतुर नुतलतलतलश डुदुत, शुतुतुर, ऑलल-शुतुतुर की ओर सुऑनलरुत सलदर तुरेशलत।
5. शुतुतलन तुरधलन नुतलतलतलश, कुतुडुड नुतलतलत, शुतुतुर की ओर सुऑनलरुत सलदर तुरेशलत।
6. शुतुतलन वलशेष नुतलतलतलश (ऑतुरुसलतुीऑ), शुतुतुर की ओर सुऑनलरुत सलदर तुरेशलत।
7. शुतुतलन तुरथड ऑलल ऑवं अतुर सतुर नुतलतलतलश, शुतुतुर की ओर सुऑनलरुत सलदर तुरेशलत।
8. शुतुतलन तुरुतुीत ऑलल ऑवं अतुर सतुर नुतलतलतलश, शुतुतुर की ओर सुऑनलरुत सलदर तुरेशलत।
9. शुतुतलन ऑलल नुतलतलतलश ऑवं अतुर सतुर नुतलतलतलश, वलऑतुतुर, ऑलल डुतुतुतुर की ओर सुऑनलरुत सलदर तुरेशलत।
10. शुतुतलन सऑलव, ऑलल वलधलक सेवल तुरलधलकुरण, शुतुतुर की ओर सुऑनलरुत सलदर तुरेशलत।
11. ऑलल दणुडलधलकलरुी/कलेकुतुर, ऑलल शुतुतुर की ओर सुऑनलरुत सलदर तुरेशलत।
12. तुरललस अधलकुषक, ऑलल शुतुतुर की ओर सुऑनलरुत ऑवं सडसुत अधलनसुथ थलनल तुरडलरुी कुु अवगत कलतल ऑलनल सुनलशलऑत करुे।
13. सडसुत नुतलतलक डऑलसुतुेत तुरथड शुुरणी शुतुतुर ऑवं वलऑतुतुर की ओर सुऑनलरुत ऑवं तुरललनलरुत तुरेशलत।
14. तुरसुतुतकलर, नुतलतलत -तुरधलन ऑलल ऑवं सतुर नुतलतलतलश डुदुत शुतुतुर की ओर सुऑनलरुत तुरेशलत।
15. सुतेनु, नुतलतलत - तुरधलन ऑलल ऑवं सतुर नुतलतलतलश डुदुत शुतुतुर की ओर सुऑनलरुत तुरेशलत।
16. अधुतकुष, ऑलल अडलतलषक संध, शुतुतुर की ओर सुऑनलरुत तुरेशलत।
17. ऑलल अडलतुऑऑन अधलकलरुी, शुतुतुर/सहल. लुक अडलतुऑऑक वलऑतुतुर की ओर सुऑनलरुत तुरेशलत।
18. ऑलल आडकलरुी अधलकलरुी, शुतुतुर/आडकलरुी अधलकलरुी वलऑतुतुर की ओर सुऑनलरुत तुरेशलत।
19. उतुरसऑललक ऑलध ऑवं औषधल तुरशलसन शुतुतुर की ओर सुऑनलरुत तुरेशलत।
20. ऑलल ऑनलऑ अधलकलरुी, शुतुतुर की ओर सुऑनलरुत तुरेशलत।
21. डुखुत नगरतुरललकल अधलकलरुी, नगर तुरललकल शुतुतुर की ओर सुऑनलरुत तुरेशलत।
22. डुखुत नगर तुरललकल अधलकलरुी, नगर तुरललकल तुरलषद वलऑतुतुर, ऑलल शुतुतुर की ओर सुऑनलरुत तुरेशलत।
23. उतुर-अधलकुषक, ऑलल ऑेल शुतुतुर/सहलतुत अधलकुषक, उतुरऑेल वलऑतुतुर की ओर सुऑनलरुत तुरेशलत।
24. सी.ऑड.ऑऑ.ऑ., ऑलल शुतुतुर की ओर सुऑनलरुत तुरेशलत।
25. लेऑलतुरल, कलरुतलत तुरधलन ऑलल ऑवं सतुर नुतलतलतलश डुदुत शुतुतुर की ओर सुऑनलरुत तुरेशलत।
26. ऑूनलतुर सलसुत डनललसुत, कडुतुतुर अणुगलग, शुतुतुर की ओर सुऑनलरुत ऑवं आवशुतक कलरुतवलुी हेतु तुरेशलत।
27. ई-ऑललललंग कलऑणुतुर ललतलक, शुतुतुर ऑवं वलऑतुतुर की ओर सुऑनलरुत ऑवं आवशुतक कलरुतवलुी हेतु तुरेशलत।


(सुतुतुी डलरुी)
डुखुत नुतलतलक डऑलसुतुेत,
शुतुतुर (ड०तुर०)